न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-325RAAJodhpur2022-198RTA225 Ramnivas ors Vs Omaram etc

01. रामनिवास पुत्र लालाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
02. सीतादेवी पुत्री लालाराम पत्नी भँवरलाल, जाति जाट, निवासी- ग्राम घाणामगरा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
03. झनकारी पत्नी लालाराम जाति जाट, निवासी- ग्राम भावी तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
04. नीतू पुत्री श्रवणराम नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती नबुड़ी पत्नी स्व. श्रवणराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
05. मोनिका पुत्री श्रवणराम जरिये कुदरती वलिया माता नबुड़ी पत्नी स्व. श्रवणराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
06. श्रीमती नबुड़ी पत्नी स्व. श्रवणराम, जाति जाट, निवासी- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ओमाराम पुत्र गिरधारीराम
2. शंकरलाल पुत्र गिरधारीराम
3. श्रीमती सायरी पत्नी गिरधारीराम,
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण- ग्राम भावी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बिलाड़ा।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 25 जुलाई 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021 ओमाराम व अन्य बनाम रामनिवास इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1 से 3
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 4

नि र्ण य

दिनांक : 14 फरवरी 2023

अपीलाण्ड्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 14/2021 ओमाराम व अन्य बनाम राजनिवास इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 25 जुलाई 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 जुलाई 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 586 रकबा 1.4400 हैक्टेयर ग्राम भावी जाटावास में आवागमन हेतु अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 585 रकबा 1.1731 हैक्टेयर की माठ के सहारे-सहारे 18 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता नहीं होना बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा तहसीलदार से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात उभय पक्ष को सुनकर अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिनांक 25 जुलाई 2022 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पो संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश सक्षम विधि के विरुद्ध पारित फरमाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील इस बिनाय पर भी खारिज करने योग्य है कि जब वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेंटगण/प्रार्थीगण को उपलब्ध था तो प्रार्थीगण अपनी सुविधा अनुसार रास्ता प्राप्त करने का कानूनी रूप से अधिकारी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश जैर अपील इस बिनाय पर भी खारिज करने योग्य है कि प्रार्थीगण मात्र अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 586 का ही हवाला दिया है, जबकि उसकी खातेदारी के पास खसरा नं. 587 भी आई हुई है, जिसे छुपाया गया है यानी रेस्पोडेंट्स स्वच्छ हाथों से न्यायालय में नहीं आया है तथा वास्तविक तथ्यों को छुपाया है। रेस्पोडेंट्स के खातेदारी खेत में आवागमन हेतु निकटतम पुराना रास्ता खसरा नं 501 गैर मुमकिन रास्ता जो ग्राम तिलवासनी जाने वाली मुड़िया सड़क है जो उरजाराम वगैरह के खसरा नं. 589 में सें होते हुए आवागमन करते है जो वर्तमान में विद्यमान है। अपीलांट्स द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका फर्द के संबंध में एतराज भी पेश किये जो खारिज कर दिये गये। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा रास्ते की चौड़ाई स्पष्ट नहीं की है। विचारण न्यायालय द्वारा केवल मौका फर्द पर आपत्तियो को ही सुना एवं प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित कर दिया, इसलिए भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित आलौच्य आदेश दिनांक 25 जुलाई 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से तीन ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन के लिए आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम एवं लघुतम रास्ता मौके पर उपवलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर प्रस्तुत मौका फर्द के अनुसार लघुतम एवं निकटतम रास्ते का आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। मौका फर्द दिनांक 18.07.12022 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेट संख्या एक से तीन के खातेदारी खेत खसरा नं. 586 मे आवागमन हेतु रास्ते के दो विकल्प बताये गये है। प्रथम विकल्प जो अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 585 में से बताया गया है, जिसकी दूरी 212 फीट बतायी गई हैं। द्वितीय विकल्प खसरा नं. 589 में से बताया गया है, जिसकी दूरी 290 फीट बतायी गई है। दोनो विकल्पों के अवलोकन से अपीलाधीन रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता पाया जाता है।

जहां तक अपीलांट्स का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ते की चौड़ाई स्पष्ट नहीं की गई है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक <u>रेस्पोडेंट्स/प्रार्थीगण</u> द्वारा 18 फीट चौड़ाई का रास्ता चाहा गया है। रास्ते के रूप में गया भूमि का रकबा 05 बिस्वा की चौड़ाई निकालने हेतु गणितीय परिगणना करने पर रास्ते की चौड़ाई 20.54 फीट पायी जाती

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। चूंकि रास्ते की चौड़ाई वांछित अनुतोष से अधिक होने से अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य है।

चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में खातेदार के आवागमन हेतु 15 फीट चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त है। विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा 20.54 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रदान किया है, जिससे भूमि का रकबा रास्ते के रूप मे अनावश्यक ही व्यर्थ हुआ है। अदालत हाजा की राय में 15 फीट चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त है। इसलिए विचारण न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में इस सीमा तक संशोधन किया जाना उचित पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन रास्ते की चौड़ाई 20.54 फीट के स्थान पर 15 फीट की जाती है। तहसीलदार बिलाड़ा को निर्देश दिये जाते है कि वह 15 फीट चौड़ाई अनुसार रास्ते के रकबे की गणना करे तथा रास्ते के रूप में काम आने वाली भूमि की डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि की गणना कर रेस्पोडेंट्स द्वारा पूर्व में जमा कराई गई राशि में से अपीलांट्स को अदा कर शेष राशि रेस्पोडेंट्स को पुनः लौटाये। तत्पश्चात रास्ते की भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में इन्द्राज करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.2.23

मंगलाराम पूनिया
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर